न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या–5/2017

तारीख दायर – 22.3.2017

तारीख फैसल – 14.3.18

अनवान

1– शिवशंकर पिता बकोर पटेल निवासी भेमई तहसील गलियाकोट

(वादी)

बनाम

1–धनजी पिता बकोर पाटीदार निवासी भेमई तहसील गलियाकोट

2– भूमिधारी जरिये तहसीलदार गलियाकोट

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादी संख्या 1– श्री निखिल सोमपुरा

वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ग्राम भेमई तहसील गलियाकोट का निवासी होकर ग्राम भेमई पटवार मण्डल भेमई में खसरा नम्बर 2417/108 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नम्बर 2398/738 रकबा 3 बीघा भूमि जमाबन्दी (खतोनी) संवत 2071–2074 खाता संख्या 416/408 कुल खसरा 2 रकबा 6 बीघा का खातेदार दर्ज रेकार्ड है । वादी ने अपने वाद में उक्त आराजीयात का विवाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जाने के कारण इसका सही सीमांकन फिल्ड बुक के आधार से नपती कराई जाने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र के अन्त में बन्दोवस्त संख्या 2022 शीट के ट्रैस(मोगजामा) में इसकी पैमाईश कराके रिपोर्ट मय

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

ट्रैस खसरा नम्बर 2417 / 108 रकबा 3 बीधा एवं 2398 / 738 रकबा 3 बीघा मंगवाई जाने का निवेंदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद पत्र की पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए असल जमाबन्दी की नकल संलग्न प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें मौके पर कोई विवाद नहीं किया जाना आदि का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र सुनने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं बहस के लिए सहमत होने से वकील पक्षकारान की बहस सूनी गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादी द्धारा विवाद करने से बन्दोवस्त संख्या 2022 शीट के ट्रैस(मोगजामा) में इसकी पैमाईश कराके रिपोर्ट मय ट्रैस खसरा नम्बर 2417 / 108 रकबा 3 बीधा एवं 2398 / 738 रकबा 3 बीघा मंगवाई जाने का निवेंदन किया गया ।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए मौके पर कोई विवाद नही किया जाने से प्रार्थना पत्र वादी निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी की बहस पर मनन किया । वादी वाद ग्रस्त आराजीयात का खातेदार कृषक है एवं अपने खाते की आराजीयात की नपती कराने का अधिकारी है ।

अतः वाद वादी आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात 2417 / 108 रकबा 3 बीधा एवं 2398 / 738 रकबा 3 बीघा मौजा भेमई का वर्तमान में उपलब्ध सुविधा अनुसार मोके पर नपती की जाकर रिपोर्ट मय ट्रैस के वादी को उपलब्ध करावें ।

निर्णय आज दिनांक 14/3/18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा